भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4032

(जिसका उत्तर मंगलवार, 03 अप्रैल, 2018 को दिया गया)

निगमित सामाजिक दायित्व मानकों के अननुपालन के खिलाफ कार्रवाई

4032. श्री के. के. रागेशः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में कंपनियां अपने वार्षिक औसतन निवल लाभ की दो प्रतिशत राशि निगमित सामाजिक दायित्व पर खर्च करने के अनिवार्य मानक का पालन करने में असफल रही हैं;
(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के लिए ऐसी कंपनियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) ऐसी कंपनियों के विरुद्ध निगमित सामाजिक दायित्व मानकों का पालन न करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (ग): कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135 के अनुसार विनिर्दिष्ट ऊपरी सीमा से अधिक व्यापार, या निवल मूल्य या निवल लाभ वाली प्रत्येक कंपनी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत अधिनियम की अनुसूची-VII में विनिर्दिष्ट कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यकलापों पर खर्च करना अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 135(5) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार, कंपनी बोर्ड द्वारा निर्धारित सीएसआर निधि खर्च न करने के स्पष्ट कारण दिए जाएंगे और बोर्ड की रिपोर्ट में उसका प्रकटीकरण किया जाएगा। यदि किसी भी समय सीएसआर उपबंधों का उल्लंघन होते हुए पाया जाता है, तो अधिनियम की धारा 134(8) के अधीन कार्रवाई शुरू की जाती है। सरकार ने अब तक वित्त वर्ष 2014-15 के लिए 228 कंपनियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 134(3)(ण) के साथ पठित धारा 135 के उपबंधों का अनुपालन न करने के कारण दण्डात्मक कार्रवाई शुरु करने की अनुमति दी है।

*****